राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण

☎:- 0141-2209776
E Mail-sjejaipurrural@yahoo.co.in

क्रमांक एफ / स्टोर / सान्याअवि / 2018 / 3320 दिनांक 24/08/18

श्रीमान् उपनिदेशक (ए.सी.पी.)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

राजस्थान, जयपुर।

विषय :– निविदा सूचना संख्या 2319 दिनांक 24/8/18 रसोईया एवं सुरक्षा (चौकीदार) की सेवाऐं जॉब बेसिस पर लिये जाने के सन्दर्भ में ई–निविदा सूचना, निविदा पत्र एवं शर्ते विभागीय वेब साईट एवं एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निविदा सूचना संख्या दिनांक रसोईयां एवं सुरक्षा (चौकीदार) की सेवाऐं जॉब बेसिस पर लिये जाने के सन्दर्भ में निविदा शर्तें एवं प्रपत्र विभागीय वेब साईट एवं एस.पी.पी.पी. पोर्टल पर डालने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :– निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते

भवदीय

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर ग्रामीण

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण

:- 0141-2209776
E Mail-sjejaipurrural@yahoo.co.in

क्रमांक : एफ 1/स्था./सान्याअवि/2018–19/ 8319 दिनांक 24/08/18

ई–निविदा सूचना

राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जयपुर जिले में 22 स्थानों पर रसोई कार्य (गोविन्दगढ, कोटपूतली, अमवारामगढ, फागी, पावटा, विराटनगर–प्रथम, दूदू, सामंरलेक, बस्सी, शाहपुरा, तूंगा, अमरसर, बनेठी, उदयपुरिया, कोटखावदा, नागराडू, राडावास, गैढ नायला, मनोहरपुर, चाकसू विराटनगर– द्वितीय) एवं सुरक्षा कार्य राजकीय छात्रावास 8 स्थानो पर (विराटनगर प्रथम, विराटनगर द्वितीय, कोटपूतली फागी राडावास गोविन्दगढ उदयपुरिया बनेठी) 28 फरवरी 2019 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो तक जॉब कार्य आधार पर रसोई एवं सुरक्षा कार्य के लिये जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा एजेन्सी से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

छात्रावासों में कार्य	अनुमानित लागत (लाखों में) प्रति वर्ष	प्रतिभूति राशि	निविदा पत्र शुल्क	निविदा फॉर्म की बिक्री की अन्तिम, तिथि व समय	भरे हुये ई–निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि व समय	ई–निविदा खोलने की तिथि एवं समय
1.रसोई का कार्य (भोजन एवं नाश्ता) 2.सुरक्षा कार्य (छात्रावास)	23.00	46000.00	1000.00	11.09.2018 1.00 पी.एम.	12.09.2018 5.00 पी.एम.	12.09.2018 5.30 पी.एम.

1. निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in एवं वेब पोर्टल http:// sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं download/upload की जा सकती है।

उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned by CamScanner

वित्तीय बोली/प्राईस बिड

रसोई कार्य जॉब आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिको को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	रसोई कार्य के लिए प्रति छात्रावास मुल्य (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रूपये	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रूपये	कुल राशि रूपये
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति माह प्रति ईकाई) रूपये	रसोई कार्य के लिए छात्रावासों की संख्या	राशि (प्रति माह प्रति ईकाई) रू.					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	1.छात्रावासों हेतु रसोई का कार्य (भोजन एवं नाश्ता) राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जयपुर जिले में 22 स्थानों पर रसोई कार्य छात्रावासी स्वीकृत संख्या 1. गोविन्दगढ – 50 2.कोटपूतली –105 3.जमवारामगढ –60 4.फागी – 50 5. पावटा – 50 6. विराटनगर–प्र. –35 7. दूदू– 40 8. साभंरलेक– 60	अकुशल	5538	22	5538	13.15 (नियोक्ता)	4.75 (नियोक्ता)	बोलीदाता को निर्धारित बी.ओ.क्यू. में राशि अंकन करना है।	बोलीदाता को निर्धारित बी.ओ.क्यू. में राशि अंकन करना है।	

Scanned by CamScanner

9. बस्सी– 50									
10. शाहपुरा–50									
11. तूंगा– 35									
12. अमरसर– 25									
13. बनेठी– 35									
14. उदयपुरिया– 25									
15. कोटखावदा– 25									
16. गागराडू– 25									
17. राडावास– 35									
18. मैड – 40									
19. नायला– 50									
20. मनोहरपुर– 70									
21. चाकसू – 25									
22. विराटनगर– द्वितीय – 50									

1. रसोई कार्य के जॉब बेश पर आधारित छात्रावासों की सख्या में वृद्धि व कमी की जा सकती है।
2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तंम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों का ई प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ) में अंकित की जायेगी।
3. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

4.सफल निविदा दाता द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 4 दिवस की अवधि के भीतर प्रत्येक उक्त छात्रावासों में रसोई की कार्य की व्यवस्था करनी होगी उपर उद्धत की गयी दरें 28.02.2019 तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष के लिये बढाया जा सकेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

दिनांकः ....

Scanned by CamScanner

वित्तीय बोली/प्राईस बिड

सुरक्षा कार्य जॉब आधारित पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी –

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सुरक्षा कार्य के लिए प्रति छात्रावास मुल्य (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रूपये	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रूपये	कुल राशि रूपये
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर (प्रति माह प्रति ईकाई) रूपये	रसोई कार्य के लिए छात्रावासों की संख्या	राशि (प्रतिमाह प्रति ईकाई) रू.					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	सुरक्षा कार्य (24 घटें) राजकीय छात्रावास 8 स्थानों पर विराटनगर, कोटपूतली विराटनगर द्वितीय फागी राडावास गोविन्दगढ उदयपुरिया बनेठी	कुशल	5538	8	5538	13.15 (नियोक्ता)	4.75 (नियोक्ता)	बोलीदाता को निर्धारित बी.ओ. क्यू. में राशि अंकन करना है।	बोलीदाता को निर्धारित बी.ओ.क्यू. में राशि अंकन करना है।	

Scanned by CamScanner

1. सुरक्षा कार्य के जॉब बेस पर आधारित छात्रावासों की संख्या में वृद्धि व कमी की जा सकती है।

2.उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां इस कार्यालय द्वारा की जाकर बोली दस्तावेजों में ही अंकित कर उपलब्ध कराई गई है तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियों का ई प्रक्योरमेंट पोर्टल पर निर्धारित बी.ओ.क्यू (BOQ) में अंकित की जावेगी।

3.संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (GST) राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी।

4.सफल निविदा दाता द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 4 दिवस की अवधि के भीतर प्रत्येक उक्त छात्रावासों में रसोई की कार्य की व्यवस्था करनी होगी उपर उद्धृत की गयी दरें 28.02.2019 तक के लिये विधिमान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

दिनांक: .... हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण

फोन: 0141-2209776

E Mail-sjejaipurrural@yahoo.co.in

ई–निविदा पत्र

राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जयपुर जिले में 22 स्थानों पर रसोई कार्य (गोविन्दगढ़, कोटपूतली, जमवारामगढ़, फागी, पावटा, विराटनगर–प्रथम, दूदू, साम्भरलेक, बस्सी, शाहपुरा, तूंगा, अमरसर, बनेठी, उदयपुरिया, कोटखावदा, गागरडू, राडावास, मैड नायला, मनोहरपुर, चाकसू, विराटनगर– द्वितीय) एवं सुरक्षा कार्य राजकीय छात्रावास 8 स्थानो पर (विराटनगर कोटपूतली विराटनगर द्वितीय फागी राडावास गोविन्दगढ़ उदयपुरिया बनेठी) 28 फरवरी 2019 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो तक जॉब कार्य आधार पर रसोई एवं सुरक्षा कार्य के लिये जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा एजेन्सी से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली संस्था/फर्म/एजेन्सी का नाम तथा डाक का पूरा पता

....

....

दूरभाष– .... मोबाइल:– ....

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक .... दिनांक ....

3. ई निविदा शुल्क की नगद जमा राशि रू. .... रसीद संख्या .... दिनांक ....

4. धरोहर राशि हेतु उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के पक्ष मे जारी बैंकर्स चैक/ड्राफ्ट सं. .... दिनांक .... राशि रू. ....

संलग्न है।

5. रसोई कार्य एवं सुरक्षा कार्य सेवा प्रदाय करने हेतु जी.एस.टी. पंजीयन सं. ....

दिनांक .... वैधता अवधि ....

(प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।)

6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2015–16, 2016–17 व 2017–18) में केन्द्र/राज्य के राजकीय विभाग/उपक्रम/स्वायत संस्थाए/परियोजनाए/बोर्ड/समिति/आयोग/शिक्षण संस्था सेवाप्रदाय का कार्मिक एक ही समयावधि में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सफलतापूर्वक उपलब्ध करवाये जाने का अनुभव होना आवश्यक है, जिसका निम्नलिखित विवरणानुसार निर्धारित कॉलम में अंकन कर संबंधित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजो के साथ लगाना होगा–

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	विभाग/संस्थान का नाम	रसोई कार्य की सेवाएं प्रदान करने का अनुभव	चौकीदार कार्य की सेवाएं प्रदान करने का अनुभव	संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र का अंकन
1				

7 उपर्युक्त अंकित दरें दिनांक 28.02.2019 तक वैध है। समयावधि मे वृद्धि पारस्परिक सहमति से की जा सकती है।

8 जी.एफ.एण्ड ए.आर. एवं आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं 2013 के प्रावधान एवं वित्त विभाग के दिशा निर्देश एव श्रम विभाग के नियम प्रभावी रहेगें।

9 निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... जो कि उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के द्वारा जारी की गई है, मे वर्णित समस्त शर्तों की पालना के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठ मे दी गई है जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमे वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

11 रसोई एवं चौकीदारी सेवायें निविदा अमानत राशि 46000/— रुपये होगी। जो उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के नाम डी.डी./बैकर्स चैक से जमा करवाई जावेगी।

12 बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स मे प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी :—

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958				

Scanned by CamScanner

	या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

13. निविदाता द्वारा निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर ऑन लाईन डिजिटल हस्ताक्षर सहित अपलोड करनी होगी।

14 ई निविदा शुल्क व अमानत राशि दिनांक 12.09.2018 सायंकाल 5 बजे से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

15 रसोई व सुरक्षा जॉब कार्य दोनो की दरें अलग–अलग वित्तीय प्रपत्र में भरनी होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांकः ....

Scanned by CamScanner

राजस्थान–सरकार
कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण

☎:- 0141-2209776
E Mail-sjejaipurrural@yahoo.co.in

निविदा की मुख्य शर्तें

General terms & conditions of Bid & Contract:-

Important Instruction:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public procurement Act, 2012"[hereinafter called the Act] and the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013 "[hereinafter called the Rules] under the said Act have come into force which are available on the website of State Public Procurement Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनिमय 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
3. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि स्कैन कर पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
4. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातो में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
5. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
6. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर

Scanned by CamScanner

संवेदक/बोलीदाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

7. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

8. संवेदक/बोलीदाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

9. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

10. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

11. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।

12. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिये उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

14. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

16. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति

Scanned by CamScanner

प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

17. कार्मिक की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जावेगी एवं उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति मे बोलीदाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नही होगा। कार्मिक की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।

18. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाए उसी कीमत, निबंधनों और शर्तों पर तीन मास से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन कार्मिक उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।

19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-let) पर नही देगा।

21. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।

22. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली मे सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईग बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

23. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

24. बोली प्रतिभूति राशि "उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण" के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी। बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा –

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमे रूपान्तरण (Modification) करता है ।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता है ।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करता है ।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि मे कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता।

(ड.) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 मे विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

25. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Agreement and Performance Security) –

(अ) बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन मे सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक "उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण" के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (अधिकतम 15000 रूपये)के बराबर राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम मे निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 मे एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

(ब) सफल बोली लगाने वाले की दशा मे, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम मे समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि दे देता है।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाऐगा।

Scanned by CamScanner

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit):– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा :–

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो ।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाऐगा । इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

27. भुगतान:–

(i) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियो में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाऐगा । अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

28. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाऐगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए –2.5%
- (ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5%
  किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए
- (ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु – 7.5%
  विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए–10%
- (ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जावेगा ।
- (च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी ।
- (छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।
- (ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्वि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

29- राजकीय अम्बेडकर छात्रावास 22 स्थानों पर रसोई कार्य (गोविन्दगढ, कोटपूतली, जमवारामगढ, फागी, पावटा, विराटनगर–प्रथम, दूदू, साभंरलेक, बस्सी, शाहपुरा, तूंगा, अमरसर, बनेठी, उदयपुरिया, कोटखावदा, गागराडू, राडावास, मैड नायला, मनोहरपुर, चाकसू विराटनगर– द्वितीय) एवं सुरक्षा कार्य राजकीय छात्रावास 8 स्थानों पर (विराटनगर कोटपूतली विराटनगर– द्वितीय फागी राडावास गोविन्दगढ उदयपुरिया बनेठी) 28 फरवरी 2019 अथवा उक्त पदों पर नियमित कर्मचारी पदस्थापित होने तक जो भी पहले हो तक जॉब कार्य रसोई एवं सुरक्षा पर लिया जाना है। जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत/प्राधिकृत एवं अनुभवी सेवा एजेन्सी से ई–निविदायें आमन्त्रित की जाती है।

30. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से दिनांक 28.02.2019 तक मान्य होगी। जिसे उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण द्वारा आपसी सहमति से निविदा अनुबन्ध अवधी एक वर्ष तक बढाई जा सकती हैं।

31. जयपुर जिला स्तर पर राजकीय छात्रावासों में प्रति 25 ईकाई आधार पर या अनुपातिक रसोई एवं सुरक्षा कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है।

Scanned by CamScanner

32. सफल निविदादाता द्वारा भोजन बनाने के कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार की कार्यावधि जॉब बेसिस कार्य की अवधि समाप्त होते ही स्वतः ही समाप्त हो जावेगी एवं किसी भी स्थिति में कर्मकार नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगें।

33. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश मे वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवायें जाएगें। यदि किसी समय सेवाप्रदायकर्ता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर भोजन बनाने का कार्य सन्तोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।

34. सेवाप्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाएें आदि मे दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदाय कर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति मे उसके **परिणामों/दायित्वों** के लिए सेवा प्रदाय कर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदाय कर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित मे जारी किये गये संशोधनो की पालना करने का दायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा ,पालना नही करने की स्थिति मे उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को जॉब बेसिस कार्य को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

35. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व ,क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी। इसके लिए सरकार उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण जिम्मेदार नही होगा।

36. आयकर, सेवाकर एवं अन्य कटौतियां राज्य सरकार के नियमानुसार की जावेगी।

37. निविदा दाता द्वारा छात्रावासों में लगाये जाने वाले कार्मिकों का पूरा बायोडेटा मय फोटो के इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना होगा।

38. यदि सेवाप्रदायकर्ता के कर्मचारी कार्य के दौरान छात्रावास की चल/अचल सम्पती को नुकसान पहुंचाते है तो उसकी वसूली सेवाप्रदायकर्ता के बिल में से काट के की जावेगी।

39. निविदा स्वीकृति/अनुमोदित आदेश के उपरान्त श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम–1970 की धारा की उप–धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान श्रमिक नियम, 1971 के अन्तर्गत वांछित अनुज्ञप्ति/लाईसेन्स प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।

40. किसी भी जॉब बेसिस कार्य बिन्दु पर कार्य न होने या आंशिक कार्य होने की स्थिति में उस बिन्दु की बनने वाली पूर्ण राशि की कटौती सेवाप्रदायकर्ता के बिल मे से की जावेगी। किसी भी जॉब बेसिस कार्य बिन्दु पर कार्य नही करवाये जाने पर 500/1000 रूपये प्रतिदिन की शास्ति उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण द्वारा लगाई जा सकती है।

41. प्रत्येक माह ई.एस.आई./ई.पी.एफ. का मासिक ई.सी.आर. सेवाप्रदायकर्ता अपने सुपरवाईजर के पास कर्मकारों की जानकारी हेतु उपलब्ध करायेगा। उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण के नोटिस बोर्ड पर एक प्रति प्रत्येक माह लगानी होगी तथा अनुबंध समाप्त होने के एक माह में कुल ई.एस.आई./ई.पी.एफ. जमा का विवरण प्रत्येक कर्मकार को सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध करना होगा।

Scanned by CamScanner

अनुबंध पश्चात उक्त विवरण कर्मकारों को उपलब्ध कराने के बाद ही प्रतिभूति राशि लौटायी जावेगी।

42. बिल के साथ संलग्न पी.एफ./ई.एस.आई. के चालान की प्रति पर यह अंकित करें " प्रमाणित किया जाता है कि.............. उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण आदेश कमांक .... दिनांक........ के कम में जॉब बेसिस पर माह........ की अवधि में .... उपनिदेशक सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण .... में ..... संबंधी कार्य/सर्विसेस हेतु नियोजित किये गये कर्मकारों/श्रमिकों के पी.एफ./ई.एस.आई. की राशि............. जो कि इस चालान की राशि............ में सम्मिलित है संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।"

43. बिल के साथ संलग्न सर्विस टैक्स के चालान की प्रति पर यह अंकित करें " प्रमाणित किया जाता है कि................. उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के आदेश कमांक............ दिनांक .... के जयपुर .... में करवाये गये ....सबधी कार्य/सर्विसेज की ऐवज में सर्विस टैक्स की राशि................ जो कि इस चालान की राशि .... में सम्मिलित है, संबंधित विभाग में जमा करा दी गई है।"

44. नियोक्ता का अंशदान उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण की ओर से जमा कराने के लिये राशि, सेवाप्रदायकर्ता द्वारा मांगी गई सकल राशि में शामिल मानी जावेगी।

45. कर्मकारों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय स्वयं के स्तर से देना होगा।

46. अनुमोदित सेवाप्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मकार सेवाप्रदायकर्ता द्वारा निर्धारित वर्दी में रहेगें। जिस पर सेवाप्रदायकर्ता का नाम/लोगो अंकित होगा एवं ड्यूटी के दौरान कर्मकार सेवाप्रदायकर्ता द्वारा जारी पहचान पत्र भी लगायेगा। सेवाप्रदायकर्ता को अपने कर्मकारों को वर्दी जिस पर सेवाप्रदायकर्ता का नाम अंकित होगा। ड्यूटी के दौरान पहनानी होगी। पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होगें। जिस पर होने वाला समस्त व्यय सेवाप्रदायकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। यदि कोई कर्मकार निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र का पाया जावेगा तो प्रतिदिन रुपये 100/- की दर से शास्ति उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण द्वारा लगाई जा सकती है।

47. कर्मकारों द्वारा कार्य न करने, व्यवधान उत्पन्न करने, शराब व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन किये हुये पाये जाने पर, अनापेक्षित आचरण, आपराधिक एवं अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सभी प्रकार की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी एवं कर्मकार को सेवाप्रदायकर्ता द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाकर उसके स्थान पर नये उपयुक्त कर्मकार से कार्य करवाना होगा।

48. श्रम विधि नियम उपनियम, श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम-1970 की धारा उप-धारा (2) तथा उसके अधीन बनाये गये राजस्थान ठेका श्रमिक नियम 1971 की पालना करने एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों अनुसार श्रम नियोजित कर्मकारों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस, वेतन, छटनी,मुआवजा आदि देने व इस बाबत् समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं में दिये गये दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का उत्तरदायित्व अनुबंधित सेवाप्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम,उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये सेवाप्रदायकर्ता स्वंय उत्तरदायी होगा। सेवाप्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार

Scanned by CamScanner

द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं कार्मिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व सेवाप्रदायकर्ता का होगा, पालना नही करने की स्थिति में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

49. यदि सेवाप्रदायकर्ता के किसी कृत्य या अपकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण को भी पक्षकार बनाता है तो संबंधित न्यायालय में एडवाकेट एवं जवाब पेश करने आदि में उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण पर पडने वाला समस्त आर्थिक भार सेवाप्रदायकर्ता से वसूल किया जायेगा।

50. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा किसी भी कर्मकार से प्रतिदिन 08 घण्टे की अवधि से अधिक सेवाये नही ली जावेगी।

51. सेवाप्रदायकर्ता द्वारा जॉब बेसिस कार्य में लगाये जाने वाले कर्मकारों की सूची उनके पासपोर्ट फोटो सहित संबंधित जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रुप से प्रस्तुत करनी होगी। इन कर्मकारों के नियमित पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी सेवाप्रदायकर्ता की होगी। सेवाप्रदायकर्ता के पास जिन कर्मकारों के नवीन पुलिस वेरीफिकेशन की सूची व सत्यापित प्रतियां जॉब कार्य के प्रभारी/नियंत्रक द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होगें। यदि किसी कार्मिक के विरुद्व आपराधिक न्यायिक मामला चल रहा हो तो उस श्रमिक को सेवाप्रदायकर्ता उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण में उपलब्ध नही करायेगा।

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 51 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

दिनांकः ....

Scanned by CamScanner

सुरक्षा (चौकीदारी) के कार्य का विवरण एवं शर्तें:–

1. आवासी छात्रों के लिये 24 घण्टे सुरक्षा का कार्य करना।
2. निदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
3. छात्रावास में आवक–जावक रजिस्ट्रर का संधारण करना।
4. आवासी छात्रों के अलावा बाहरी छात्रों का निषेध होगा।
5. आवासी छात्रों को परिजनों से मिलवाने का रजिस्ट्रर में इन्द्राज करना होगा।
6. छात्रावास अधीक्षक के आदेशानुसार सुरक्षा (चौकीदारी) से संबंधी कार्यों की पालना करना।
7. छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार सुरक्षा (चौकीदारी) से संबंधी कार्य करना।
8. मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 07 को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

दिनांकः ....   हस्ताक्षर निविदादाता

Scanned by CamScanner

रसोई के कार्य का विवरण एवं शर्तें:–

1. आवासी छात्रों के लिये नाश्ता– दूध, पोहे, दलिया, अंकुरित चने एवं अन्य आइटम बनाना।
2. आवासी छात्रों के लिये सुबह का भोजन जिसमें दाल, चावल, सब्जी चपाती, दही, सलाद आदि बनाना।
3. आवासी छात्रों के लिये रात का भोजन बनाना जिसमें दाल चपाती, खिचड़ी, चावल सब्जी, दूध आदि बनाना।
4. रसोई की साफ–सफाई रखना व प्रयोग में आने वाले बर्तनों की साफ–सफाई, देखभाल व सुरक्षा करना।
5. आवासी छात्रों के लिये दूध, नाश्ता, भोजन, फल आदि के वितरण में व खिलाने में सहयोग करना।
6. खाद्य सामग्री का अपव्यय नही करना, समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होना चाहिये, शारीरिक व मानसिक रुप से स्वस्थ होना, स्वय की खर्चे पर ड्यूटी पर उपस्थित होना, कठोर एवं अप्रिय भाषा का प्रयोग नही करना, सम्पूर्ण प्रकिया में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना आदि।
7. छात्रावास अधीक्षक के आदेशानुसार रसोई संबधी कार्यो की पालना करना।
8. निदेशालय द्वारा जारी मीनू एवं छात्रावास अधीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार रसोई संबधी कार्य करना।
9. रसोईया के प्रयोग में आने वाली सामग्री या सामान की संख्या में कमी दुरुपयोग व खराब होने पर सेवाप्रदायकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
10. रसोई का कार्य पूर्ण करने हेतु ड्यूटी का समय प्रात: 6.00 बजे से प्रात: 10.00 बजे तक एवं सांयकाल 4.00 बजे से 8.00 बजे तक होगा।
11. विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली व्यवस्था :– (1) रसोई में आवश्यकतानुसार प्रयोग में आने वाले बर्तन, उपकरण, गैस आदि उपलब्ध करवाए जायेगें। (2) नाश्ता, भोजन आदि बनाने की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी। (3) रसोई की साफ–सफाई में प्रयोग में आने वाला समस्त सामान उपलब्ध करवाया जायेगा।

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 11 को भली भांति पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिये सहमत है।

Scanned by CamScanner

हस्ताक्षर निविदादाता

दिनांक ....

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते है कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नही लगाई है यदि कहीं अंकित कर दी गई है तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि श्रम विभाग मे श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या .... दिनांक.................. है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर प्रतिभूति/जमानत राशी (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

दिनांकः–

d

Scanned by CamScanner

करार पत्र

यह करार पत्र आज दिनांक ______ माह ____ सन् ____ को एक पक्ष के ______ जिसे इसमें आगे **अनुमोदित निविदा कर्ता** कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति मे, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एव प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति मे, जहां संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एव समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।

1. चूंकि निविदाकर्ता राजस्थान राज्य के उपनिदेशक सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण के अधीन राजकीय अम्बेडकर छात्रावास जयपुर जिले मे 22 स्थानों पर रसोई कार्य (गोविन्दगढ, कोटपूतली, जमवारामगढ, फागी, चाकसू, विराटनगर-प्रथम, दूदू, सामरलेक, बस्सी, शाहपुरा, तूंगा, अमरसर, बनेठी, उदयपुरिया, कोटखावदा, मौजमाबाद, राडावास, मैड नायला, मनोहरपुर, चाकसू विराटनगर- द्वितीय) एवं सुरक्षा कार्य राजकीय छात्रावास 8 स्थानों पर (विराटनगर कोटपूतली विराटनगर- द्वितीय फागी राडावास गोविन्दगढ उदयपुरिया बनेठी) कराने की शर्तो मे दिये गये तरीके से तथा कार्यादेश संख्या दिनांक ________ मे दी गई दरों पर प्रदाय करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।

2. एव चूंकि सेवा प्रदाय कर्ता ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:-

(1.) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक/रसीद संख्या ______ दिनांक ______ द्वारा

(2.) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पासबुक के रूप में,

(3.) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रो/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेटस/किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्क्रिप्ट/इन्सट्रमेन्टस के रूप मे ,यदि इन्हे सम्बन्धित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किये जाएगें) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूती के रूप मे गिरवी रखा जा सकता है।

Scanned by CamScanner

3. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है।

(1) कार्यादेश सं. .... दिनांक.................. दी गई दरों पर ____________ के मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल मे सेवा प्रदायकर्ता.................... मे तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों मे दिये गये तरीके से उक्त रसोई व सुरक्षा कार्य करेगा।

(2) निविदा सूचना संख्या दिनांक .... से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं कार्य करने की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुडी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप मे लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होगी।

(3) सेवा प्रदायकर्ता कार्यादेश सं. .... दिनांक.................. मे उल्लेखित अवधि/तिथि तक निर्धारित मात्रा मे रसोई व सुरक्षा कार्य निर्धारित स्थल पर प्रदाय करेगा।

4. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निवार्चन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न सरकार (उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर ग्रामीण) द्वारा विनिश्चित किये जाऐंगे तथा सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी मे इसमे पक्षकारों ने आज दिनांक .... माह............ सन______ को अपने हस्ताक्षर किये।

हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष
उपनिदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जयपुर ग्रामीण

अनुमोदित प्रदाय कर्ता के हस्ताक्षर पदनाम

साक्षी सं. 1
साक्षी सं. 2

साक्षी सं. 1
साक्षी सं. 2

Scanned by CamScanner

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(j) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(k) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(l) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(m) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(n) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(o) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(p) disclose conflict of interest, if any and

(q) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(r) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

h. Have controlling partners/ shareholders in common; or

i. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

j. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

k. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

l. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved.

Scanned by CamScanner

However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

m. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

n. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

6. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

7. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

8. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

9. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

10. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :	Signature of bidder
Place :	Name :
	Designation :
	Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is FS (Budget) Finances Department Secretariate Rajasthan, Jaipur.
The designation and address of the Second Appellate Authority is ACS Finances Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(8) Filling an appeal
If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules

Scanned by CamScanner

or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(9) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(10) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(11) Appeal not to lie in certain cases
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-
(f) Determination of need of procurement.
(g) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(h) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(i) Cancellation of a procurement process.
(j) Applicability of the provisions of confidentiality.

(12) Form of Appeal
(d) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(e) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(f) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(13) Fee for filing appeal
(c) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(d) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Scanned by CamScanner

(14) Procedure for disposal of appeal

(e) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(f) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(g) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(h) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Scanned by CamScanner

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....................of.............
Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

8. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :

9. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)

10. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :

11. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :

12. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :

13. Grounds of appeal :...
....
....
.... (Supported by an affidavit)

14. Prayer :..
....

Scanned by CamScanner

....
....
....

Place ....
Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

4. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis :

IV. if these is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

V. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and total shall be corrected; and

VI. if these is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

if the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid securing Declaration shall be executed.

5. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

2 At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent. of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

3 If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

4 In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

Scanned by CamScanner